मई के दूसरे हफ्ते में लागू हो सकता है भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार करार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) मई के दूसरे सप्ताह से लागू होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस समझौते पर पिछले साल जुलाई में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई, 2025 को वृहद आर्थिक और व्यापार करार (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 99 फीसद भारतीय निर्यात शून्य शुल्क पर ब्रिटेन के बाजार में जाएगा। वहीं भारत कार और शराब जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क दरें घटाएगा।

अधिकारी ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि यह समझौता मई के दूसरे सप्ताह से लागू हो जाएगा। दोनों देशों ने दोहरा योगदान संधि (डीसीसी) करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के अस्थायी कर्मियों को सामाजिक शुल्क को दो बार नहीं देना पड़ेगा।' अधिकारी ने बताया कि दोनों समझौतों को एक साथ लागू किए जाने की संभावना है। सीईटीए का लक्ष्य 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को दोगुना कर 56 अरब डालर तक पहुंचाना है।

समझौते के तहत भारत ने चाकलेट, बिस्कुट और कास्मेटिक्स सहित कई उपभोक्ता उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दिया है। वहीं उसे ब्रिटेन में कपड़ा, जूते-चप्पल, रत्न एवं आभूषण, खेल के सामान और खिलौनों जैसे क्षेत्रों के लिए अधिक बाजार पहुंच मिलेगी। इस समझौते के तहत, स्काच व्हिस्की पर शुल्क तुरंत 150 फीसद से घटाकर 75 फीसद कर दिया जाएगा, और 2035 तक इसे और घटाकर 40 फीसद कर दिया जाएगा। वाहनों पर भारत धीरे-धीरे उदार कोटा प्रणाली के तहत, पांच साल में आयात शुल्क को घटाकर 10 फीसद कर देगा, जो अभी 110 फीसद तक है। इसके एवज में भारतीय विनिर्माताओं को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए ब्रिटेन के बाजार में पहुंच मिलेगी।

'कानून की नहीं, न्याय तक पहुंच की कमी सबसे बड़ी चुनौती'

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 12 अप्रैल।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि देश की कानूनी व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानूनों का अभाव नहीं, बल्कि आम नागरिकों की उन तक सीमित पहुंच है। उन्होंने कानूनी अधिकारों और उनकी व्यावहारिक उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखंड उच्च न्यायालय और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन 'जस्टिस बियान्ड बैरियर्स : राइट्स, रिहैबिलिटेशन एंड रिफार्म फार द मोस्ट वल्नरेबल' पर सीजेआइ ने कहा कि भारत में अधिकारों और नीतियों का मजबूत ढांचा मौजूद है, लेकिन दूरी, देरी और क्रियान्वयन की कमियों के कारण ये लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'न्याय का केवल अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक अंतिम नागरिक के दरवाजे तक समय पर पहुंचना चाहिए। गणतंत्र की शक्ति का आकलन घोषित अधिकारों से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से प्राप्त अधिकारों से किया जाना चाहिए।'

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और सीमित संपर्क व्यवस्था न्याय तक पहुंच को प्रभावित करती हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाना जरूरी है। देश के विभिन्न हिस्सों-लद्दाख, श्रीनगर, नगालैंड और केरल के अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिक अक्सर अधिकारों की कमी से नहीं, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए सुलभ मंचों के अभाव के कारण संघर्ष करते हैं।

लेबनान में इजराइल के हमले जारी, बच्ची समेत 11 लोगों की मौत

लेबनान में अब तक 2,020 लोग मारे गए और 6,436 घायल हुए

बेरूत, 12 अप्रैल (एजंसी)।

ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले तो थम गए हैं, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमलों में मानवता की मौत का सिलसिला जारी है। दक्षिणी लेबनान में रविवार को भी इजराइल के हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को दक्षिणी लेबनान के काना शहर में इजराइल के हमले में कम से कम 5 लोग तो मारूब में छह लोग मारे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 2 मार्च से अब तक लेबनान पर हुए इजराइली हमलों में कम से कम 2,020 लोग मारे गए हैं और 6,436 अन्य घायल हुए हैं। हजारों लोगों की मौत के बीच दक्षिणी लेबनान से इजराइली हमले में एक बच्ची की मौत की दिल दहलाने वाली खबर भी सामने आई।

रायटर्स की रपट के अनुसार रविवार को दक्षिणी लेबनान के पोर्ट शहर टायर में पिता के जनाजे में शामिल एक बच्ची की मौत हो गई। तालीन नामक यह बच्ची अभी दो साल की नहीं हुई थी। तालीन की मौत दक्षिणी लेबनान के सरीफा गांव में हुए एक इजराइली हमले में हुई थी। तालीन की बहन एलीन सईद ने बताया कि पिछले हफ्ते दक्षिणी लेबनान में अपने घर पर हुए इजराइली हमले में बाल-बाल बची थी। वह अपने पिता को दफनाने के लिए वहां मौजूद थी, लेकिन तभी हुए नए हमले में उसकी छोटी बहन और दूसरे रिश्तेदारों की जान चली गई।

तालीन के परिजनों ने बताया कि उनके गांव सरीफा पर बुधवार को हमला हुआ था। यह अमेरिका-ईरान संघर्ष-विराम का पहला दिन था, जिसके बारे में लेबनान में कई लोगों को उम्मीद थी कि यह उनके देश पर भी लागू होगा। इसके बजाय, इजराइली हमलों में पूरे लेबनान में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और सईद परिवार को अपने चार और रिश्तेदारों को दफनाना पड़ा।

रविवार को, वह दक्षिणी बंदरगाह शहर टायर में अन्य रिश्तेदारों के साथ उन शवों को लेने गए जो हरे कपड़े में लिपटे हुए थे। उनमें से एक ताबूत, जो बाकियों के मुकाबले काफी छोटा था, उसमें उनकी पोती तालीन का शव था - जो एलीन की बहन थी। इजराइली सेना ने कहा कि उसके पास इस घटना की जांच करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। साथ ही उसने यह भी कहा कि हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ अपने हमलों में वह आम नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाती है।

गौरतलब है कि ईरान, अमेरिका के साथ चल रही बातचीत रविवार को बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। लेकिन इजराइल लेबनान के अधिकारियों के साथ एक अलग रास्ते से बातचीत करना चाहता है। लेबनान पर भारी बमबारी जारी है, जिसमें शनिवार को लगभग 100 लोग मारे गए।

बच्चे चुका रहे हैं भयावह कीमत

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने चेतावनी दी है कि लेबनान में इस युद्ध की सबसे भयावह कीमत बच्चे चुका रहे हैं। खबरों के अनुसार, 8 अप्रैल को हुए इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 33 बच्चों की मौत हो गई और 153 घायल हुए हैं, जबकि मार्च की शुरुआत से अब तक 600 से अधिक बच्चे मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। देशभर में, 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 3 लाख 90 हजार बच्चे शामिल हैं।

युद्धविराम की अपील...

पोप लियो ने रविवार को कहा कि वह लेबनान के प्यारे लोगों के कितने करीब महसूस करते हैं और उन्होंने युद्धविराम की अपील की। सेंट पीटर्स स्क्वायर में श्रद्धालुओं को अपने संबोधन में पोप ने कहा कि आम नागरिकों को युद्ध के भयानक प्रभावों से बचाना एक नैतिक दायित्व है। बुधवार का दिन लेबनान के हालिया इतिहास के सबसे जानलेवा दिनों में से एक था। यह इंसानियत नहीं है। यह एक युद्ध अपराध है।

पश्चिम एशिया तनाव पर भारत-यूएई एकमत : जयशंकर

अबू धाबी, 12 अप्रैल (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से अबू धाबी में मुलाकात की और क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और इसके प्रभावों पर चर्चा की।

जयशंकर नौ से 12 अप्रैल तक मारीशस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अपनी चार दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में अबू धाबी में हैं। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'आज शाम अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी बातचीत क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और उनके प्रभावों पर केंद्रित रही। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने खाड़ी देश में भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यूएई के नेतृत्व द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भारत की ओर से गहरी सराहना व्यक्त की।

खबर कोना

अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण

न्यूयार्क, 12 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का सिएटल में अनावरण किया गया। यह प्रतिमा प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद के सम्मान में स्थापित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सिएटल शहर में 'वेस्टलेक स्क्वायर' पर स्थापित आदमकद कांस्य प्रतिमा अमेरिका में किसी नगर प्रशासन की ओर से लगाई गई अपनी तरह की पहली प्रतिमा है। भारतीय कलाकार नरेश कुमार कुमावत द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा का सिएटल की महापौर केटी विल्सन और सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता ने शनिवार को संयुक्त रूप से अनावरण किया। सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ह्यशिकागो 1893 से सिएटल 2026 तक! ...सिएटल का प्रशासन शहर के मध्य क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थापित करने वाला पहला नगर प्रशासन बन गया है।'

ताइवान के साथ कुछ संबंधों को फिर से शुरू करेगा चीन

बैंकाक, 12 अप्रैल (एपी)।

चीन ने रविवार को कहा कि वह ताइवान के साथ निलंबित संबंधों को कुछ हद तक फिर से शुरू करेगा। इनमें समूचे चीन के शहरों के लिए सीधी उड़ानें और ताइवानी मत्स्य उत्पादों का आयात भी शामिल है। हाल में ताइवान की विपक्षी पार्टी की नेता ने चीन की यात्रा की थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ह्यताइवान वर्क आफिसह्ल ने एक बयान जारी कर कहा कि वह कम्युनिस्ट पार्टी और ताइवान की कुओमिंतांग पार्टी के बीच एक दीर्घकालिक संचार तंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशेगा तथा ताइवान के जलीय कृषि उत्पादों के आयात को सुविधाजनक बनाएगा जिन पर हाल के वर्षों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुओमिंतांग पार्टी की प्रमुख चेंग ली-वुन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की जिसमें दोनों ने शांति की अपील की, लेकिन कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं दिया।

भारत, उज्बेकिस्तान के बीच 12 से 25 अप्रैल तक संयुक्त सैन्य अभ्यास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

भारत और उज्बेकिस्तान के सैनिक 12 से 25 अप्रैल तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और अर्ध-पर्वतीय इलाकों में संयुक्त अभियान चलाने की अपनी क्षमता को बढ़ाना है। अधिकारियों ने बताया कि भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' के सातवें संस्करण के लिए भारतीय दल रविवार को रवाना हो गया। अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त प्रशिक्षण का समापन 48 घंटे के एक अभ्यास के साथ होगा, जिसका उद्देश्य संयुक्त अभियानों के लिए सामरिक अभ्यासों को मान्य करना है, जिसमें गैरकानूनी सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करने के लिए विशेष अभियानों की तैयारी और निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

श्रीलंका ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

कोलंबो, 12 अप्रैल (भाषा)।

श्रीलंका के जलक्षेत्र में कथित तौर पर अवैध शिकार करने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने कम से कम 12 और भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी नाव को जब्त कर लिया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, '11 अप्रैल की रात को चलाए गए एक अभियान के दौरान, श्रीलंकाई नौसेना ने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया और 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जब वे कराइनगर जाफना के कोविलम के पास श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे।' आठ अप्रैल को मन्नार के समुद्री क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने कम से कम 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया।

फ्रांस पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अप्रैल ।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी रविवार को अपने दो देशों के दौरे के पहले चरण के लिए पेरिस पहुंचे, जिस दौरान वे रक्षा, असैन्य परमाणु और ऊर्जा, तथा अन्य प्रमुख वैश्विक व क्षेत्रीय घटनाक्रमों सहित कई मुद्दों पर फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मिसरी रविवार से तीन दिवसीय पेरिस और बर्लिन की यात्रा पर हैं, जहां वे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

फ्रांस में भारतीय दूतावास ने मिसरी के पहुंचने पर एक्स पर कहा, 'यह दौरा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की फरवरी 2026 में भारत यात्रा के बाद हो रहा है तथा भारत और यूरोप के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की निरंतरता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पेरिस में विदेश सचिव, फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स के साथ भारत-फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श की सह-अध्यक्षता करेंगे।

चीन के दिए मनगढ़ंत नामों को भारत ने किया खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

रणधीर जायसवाल

भारत ने रविवार को कहा कि चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र को 'काल्पनिक नाम' देना और 'निराधार विमर्श' गढ़ना वास्तविकता को नहीं बदल सकता, लेकिन इससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर असर जरूर पड़ सकता है। नई दिल्ली की तीखी प्रतिक्रिया बेजिंग द्वारा अक्साई चिन में एक तीसरे नए काउंटी (प्रशासनिक इकाई) की स्थापना की पृष्ठभूमि में आई है। भारत अक्साई चिन को अपना संप्रभु क्षेत्र मानता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत, चीन द्वारा भारत की भूमि के अंतर्गत आने वाले स्थानों को मनगढ़ंत नाम देने के किसी भी शरारती प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा झूठे दावे पेश करने और निराधार विमर्श गढ़ने के ऐसे प्रयास इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश सहित ये स्थान और क्षेत्र भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे।

जायसवाल ने कहा कि चीनी पक्ष के ऐसे प्रयास भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सामान्य बनाने की कवायद से ध्यान भटकाती हैं। उन्होंने कहा कि चीन को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, जो संबंधों में नकारात्मकता पैदा करते हैं और बेहतर समझ बनाने के प्रयासों को कमजोर करते हैं।

सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै-38

निविदा सूचना क्रमांक. आईसीएफ/पीसीएमएम/ईओटी/15/2026 दिनांक: 10.04.2026

निम्नलिखित ई-निविदाएँ आईआरईपीएस वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं। फर्मों से अनुरोध है कि वे www.ireps.gov.in पर लॉग इन करें और इन निविदाओं के लिए बोली लगाएं। इन निविदाओं के लिए मैन्युअल कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी निविदाओं को बंद करने और खोलने का समय दोपहर 14.15 बजे है। निविदा सूचना का हिंदी संस्करण वेबसाइट www.icf.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

क्रम संख्या	निविदा क्रमांक	निविदा शीर्षक	मात्रा	नियत तिथि
01	03261179	बॉडी-बोगी कनेक्शन के लिए वायर रोप असेंबली	11433 नग	27/04/2026
02	02260049	अंतिम छत तत्व पूर्ण (एल डब्लू ऐ सी सी एन)	45 सेट	27/04/2026
03	08261268	एमईएमयू/डीएमसी/पीएच/एमआरवीसी/सी/बीटी कोच के लिए ई.पी. ब्रेक इक्विपमेंट की सप्लाई और इंस्टॉलेशन	12 सेट	28/04/2026
04	03261212	लैटरल डैम्पर एयर स्प्रिंग	523 नग	29/04/2026
05	06252246	एसएस ट्यूब और डबल फेर एमईएमयू/टीसी और ईएमयू	596 सेट	04/05/2026
06	03252183B	वीबी/टीएस के लिए सीटीआरबी बेयरिंग	1367 नग	04/05/2026
07	02261327	बॉडी साइड एंट्रेंस डोर (एलएचबी) की जोड़ी की सप्लाई और इंस्टॉलेशन	2115 जोड़ा	04/05/2026
08	02261321	छत और साइड की दीवार का सी/एस (ईएमयू एम)	8 सेट	04/05/2026
09	07261623	लकड़ी आधारित संसेचित संपीड़ित लैमिनेटेड शीट	12428 नग	04/05/2026
10	07261570	पेंट्री में एचपीएल और एसएस पैनल का एस एंड आई	38 सेट	04/05/2026
11	07261607	लकड़ी आधारित संपीड़ित लैमिनेटेड शीट	5382 नग	04/05/2026
12	08261201	एमआरवीसी/सी/बीटी के लिए ई.पी. ब्रेक का एस एंड आई टेस्ट और कमीशनिंग	आईआरईपीएस वेबसाइट देखें	06/05/2026
13	02261328	अंडर फ्रेम (एमईएमयू एनडीएमसी)	35 नग	06/05/2026
14	01255209B	यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल 20टी कैपेसिटी	1 नग	06/05/2026
15	07261636	एमईएमयू कोच के लिए सीटों के ओ/सी सेट का एस एंड आई	112 सेट	18/05/2026
16	07261633	एस एंड आई ड्राइवर कैब आंतरिक पैनलिंग	76 सेट	18/05/2026

शुद्धिपत्र संख्या 15

निम्नलिखित निविदाओं के लिए शुद्धिपत्र जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आई आर ई पी इस वेबसाइट देखें।

क्रम संख्या	निविदा क्रमांक	मौजूदा मूल्य	संशोधित मूल्य
01	01265139	डॉक्यूमेंट्स जोड़ने और हटाने की जानकारी के लिए कृपया आईआरईपीएस वेबसाइट पर टेंडर डॉक्यूमेंट देखें।	
02	06252269	आइटम डिस्क्रिप्शन में बदलाव, टेक्निकल कम्प्लायंस और डॉक्यूमेंट्स में कुछ जोड़ना और हटाना। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया आईआरईपीएस वेबसाइट पर टेंडर डॉक्यूमेंट देखें।	

Hinduja Housing Finance Limited

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय: सं. 167-169, 2री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, तमिलनाडु, भारत; शाखा कार्यालय: कार्यालय प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा, 547, भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड़ - 245101, उत्तर प्रदेश; प्राधिकृत अधिकारी:आरएलएम - हसमुद्दीन रजा: 8468898202; आरआरएम - हरीश यादव: 7060411785; सीएलएम -रवि -9999048581; सीआरएम: ललित पंवार झ 9837000044
ई-मेल: auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(सारफेसी अधिनियम) के अंतर्गत एचएचएफएल के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्तियों की बिक्री

एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरकर्ता ने सारफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूची में वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उसके बकाये की वसूली के लिए एचएचएफएल को स्वीकार्य शर्तों पर अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को "जैसी है जहां है और "जैसी है, वैसी" है आधार पर निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री की मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: : 1.निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री" जैसी है जहां है और "जैसी है, वैसी है" पर की जाएगी ; 2. क्रेता को एचएचएफएल द्वारा सम्पत्ति की खरीद प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर 25% राशि जमा करनी होगी, और शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी ; 3. क्रेता को उक्त उपबन्ध (2) के अनुसार प्रस्तावित राशि का 10% आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो कि ऊपर उल्लिखित 25% राशि में समायोजित किया जाएगा; 4. यदि क्रेता उपरोक्त (2) शर्त के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहता है, तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि सहित पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी; 5. यदि एचएचएफएल क्रेता के खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी, 6. संपत्ति को एचएचएफएल को ज्ञात या अज्ञात ,मौजूदा और भविष्य के सभी अधिभारो के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तृतीय पक्ष के दावे, अधिकारों या देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; 7. क्रेता को संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि के लिए उचित जांच-पड़ताल करनी होगी। क्रेता बाद की तिथि में अधिकृत अधिकारी/ सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकेगा; 8. एचएचएफएल बिना कोई कारण बताए किसी भी खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; 9. यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो एचएचएफएल सबसे ऊंचे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा; 10. इच्छुक पक्ष अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए और अपना आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ; 11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, कर, शुल्क और अन्य खर्चे का बहन करना होगा; 12. बिक्री सारफेसी अधिनियम /नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी;13.बिक्री की तिथि 30.04.2026 होगी।

ऋणकर्ता का विवरण: श्री दीपक गोयल, LAN NO. DL/BPR/ADHR/A000000014

संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति): प्लॉट नं. 88 का संपूर्ण हिस्सा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 46.66 वर्ग गज (अर्थात 39.031 वर्ग मी.) है, जो मोहल्ला रणजीत नगर, परगना, तहसील और जिला हापुड़ में स्थित है। सीमाएं:
पूर्व: प्लॉट नं. 88 का हिस्सा, पश्चिम: प्लॉट नं. 88 का हिस्सा, उत्तर: प्लॉट नं. 89, दक्षिण: रास्ता 16 फीट चौड़ा

आरक्षित मूल्य : रू. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र)

स्थान:हापुड़, दिनांक: 13.04.2026 — अधिकृत अधिकारी हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 (1) एवं (2) के अंतर्गत)
श्री विनोद जैन, व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री विनोद जैन, पुत्र श्री गोपी राम जैन
2	व्यक्तिगत गारंटर का पता	(1) एफ-901, पाम स्प्रिंग, सेक्टर-54, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव, हरियाणा; (2) एमडी-25, पीतमपुरा, दिल्ली-110088
3	कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारंभ होने की तिथि	पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आईबीसी, 2016 की धारा 95 के तहत दायर आवेदन को एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच, कोर्ट VI ने अपने आदेश सीपी (आईबी) संख्या 330/एनडी/2023, दिनांक 27.03.2026 (आदेश प्राप्त तिथि 09.04.2026) के माध्यम से स्वीकार कर लिया
4	समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	सी.ए. दीपक मित्तल पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA 001/IP-P02096/2020-21/13264
5	बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्प पेशेवर का पता और ईमेल पता	पता: आर-4/39, राज नगर, गाजियाबाद-201002 ईमेल: reshmaandco@gmail.com
6	रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ईमेल पता।	पता: आर-4/39, राज नगर, गाजियाबाद-201002 ईमेल: pg.megppie@gmail.com
7	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04.05.2026
8	दावा दाखिल करने के लिए प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं:	"फॉर्म बी" संबंधित प्रपत्र को निम्नलिखित वेब लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच, न्यायालय - VI ने श्री विनोद जैन, व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 27.03.2026 को दिया है (आदेश दिनांक 09.04.2026 को प्राप्त हुआ)।
श्री विनोद जैन, व्यक्तिगत गारंटर, के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित 04.05.2026 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 6 के सामने उल्लिखित पते पर संकल्प पेशेवर को प्रस्तुत करें। लेनदार अपने दावों को प्रमाण सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड का प्रावधान होगा।

दिनांक: 13.04.2026
स्थान: गाजियाबाद

दीपक मित्तल
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
श्री विनोद जैन के मामले
IBBI/IPA-001/IP-P02096/2020-21/1326
R-4/39, राज नगर, गाजियाबाद-20100

सार्वजनिक सूचना

(साझेदारी फर्म को कंपनी में बदलने के लिए)

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ के अध्याय XXI के भाग। के अनुसरण में, जिसे कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, २०१४ के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए, **मेसर्स एम.के.एस. श्री एंटरप्राइजेज,** एक साझेदारी फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय **सी -४९४, DSIIDC, नरेला, दिल्ली-११००४०**पर स्थित है, कंपनी अधिनियम, २०१३ के तहत स्वयं को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी का प्रस्तावित नाम **एमकेएस श्री प्राइवेट लिमिटेड** है।
यदि किसी भी व्यक्ति को फर्म को कंपनी में बदलने के इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **२१ दिनों** के भीतर, सहायक दस्तावेजों के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, NCT दिल्ली और हरियाणा (राज्य) को लिखित रूप में सूचित कर सकता है।

मेसर्स एम.के.एस. श्री एंटरप्राइजेज की ओर से और उनके लिए
हस्ताक्षर/-
(सागर शर्मा)
(पदनाम: पार्टनर)
दिनांक - १३/०४/२०२६
स्थान - दिल्ली

समाचारपत्र विज्ञापन

(सीमित देयता भागीदारी नियमन, 2009 के नियम 17 के अनुसार, एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में विज्ञापन देने हेतु)

कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश द्वितीय के समक्ष

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) एवं सीमित देयता भागीदारी नियमन, 2009 के नियम 17 के मामले में
एवं
मैसर्स **कैपकॉम एडवाइजर्स एलएलपी** ("एलएलपी") जिसका पंजीकृत कार्यालय एसजी-4/901, साया गोल्ड एवेन्यू, प्लॉट न० 10/1, वैभव खण्ड, प्लॉट-ए इन्दरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201014 में स्थित है, के मामले में .....याचिकाकर्त्ता
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना प्रदान की जाती है कि एलएलपी, कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश द्वितीय को सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के तहत एक याचिका अथवा आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसमें एलएलपी के साझेदारों द्वारा **शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026** को पारित संकल्प के अनुसार सीमित देयता भागीदारी समझौते में संशोधन करने की अनुमति मांगी जायेगी, ताकि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को "**उत्तर प्रदेश राज्य**" से "**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) ऑफ दिल्ली**" में स्थानांतरित किया जा सके।
एलएलपी का वर्तमान पंजीकृत कार्यालय स्थित है